न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/58/2025

अपीलांट राजूराम पुत्र श्री किशनाराम
निवासी गांव/पोस्ट वीदासर, जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 04.06.2025

अपीलार्थी राजूराम पुत्र श्री किशनाराम निवासी गांव/पोस्ट वीदासर, जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डर 48526 की प्रति दिनांक 01.04.2025 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब में अंकित किया कि अपीलांट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 1068 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया गया है लिहाजा अपीला दाखिल दफतर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना में संदर्भित पत्रों का पूर्ण विवरण दिया गया हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं जो उचित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपलब्धता अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:42:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज 04.06.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर